

क्रमांक

दिनांक...14/11/11

OFFICE OF UDM

Dy. No. 4125

Date 23/11/11

✓ श्री कमलनाथ जी,  
माननीय शहरी विकास मंत्री,  
भारत सरकार,  
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जैतपुर विस्तार भाग-1 को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डाले जाने का अनुरोध।

श्रीमानजी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हमारी रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पूरे जैतपुर विस्तार पार्ट-1 का प्रतिनिधित्व करती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में जैतपुर विस्तार पार्ट-1 को ओ जोन में दर्शाया गया है, जो कि सरासर गलत है। जैतपुर विस्तार पार्ट-1 यमुना नदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है व इसकी सभी कालोनियाँ दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में सूचीबद्ध है, जिनमें जैतपुर विस्तार एल ब्लॉक 1639/95, जैतपुर विस्तार के ब्लॉक 1639/234, एकता विहार जैतपुर 1639/185, अर्पण विहार जे ब्लॉक 1639/184, जैतपुर विस्तार ई-1 1639/304, जैतपुर विस्तार पार्ट-1 1639/368, जैतपुर विस्तार पार्ट-1 1639/506, जैतपुर विस्तार ए ब्लॉक 1639/516 व जैतपुर विस्तार आई ब्लॉक 1639/582 शामिल हैं व इस क्षेत्र की आबादी ही लगभग पचास हजार से ज्यादा है। हम लोग यमुना फ्रंट पर नहीं आते। हमारे बाद हरियाणा के बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, सेहतपुर गांव व अगवानपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है, इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते हैं।

जैतपुर विस्तार पार्ट-1 में ज्यादातर गरीब तबके के लोग आते हैं, जिन्होंने बेहद मेहनत के बाद अपना आशियाना बनाया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

आपका अपना,

प्रतिलिपी:-

- 1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
- 2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
- 3- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
- 4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
- 5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
- 6- श्री रमेन कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।

